पब्लिकट्रस्ट पंजी / 08 / 1970-71

।।श्री आदिनाथाय नमः।।

श्री दिग.जैन तीर्थोदय एवं धर्मोदय अतिशय तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट

गोलाकोट–पचराई तहसील खनियाँधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

सम्पर्क – 09981700789, 09977084421, 09977473932, 09893533039

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री
भारत शासन
दिल्ली, भारत

विषय : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 'जैन समुदाय' के प्रतिनिधि की नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

मान्यवर,

भारतवर्ष में प्रत्येक धर्म, समुदाय की आचरण पद्धति को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व शासन का होता है । उसमें भी धर्म, भाषा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित समुदायों की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखना भारत सरकार का नैतिक दायित्व है ।

भारत सरकार ने 'जैन समुदाय' को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया हुआ है । परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ जैन समुदाय को नहीं मिल पा रहा है । साथ ही जैन समुदाय को अपनी धार्मिक क्रियाविधियों, भाषा एवं शिक्षा के सम्यक् निर्वहन में आने वाली समस्याओं को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 'जैन समुदाय' के विकास में सहयोग करने हेतु सदस्य का पद रिक्त होने से आयोग में उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाता । फलतः जैन समुदाय के विकास के लिये कल्याणकारी विशिष्ट योजनाएँ भी सुनिर्धारित नहीं हो पातीं ।

माननीय महोदय से निवेदन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जैन समुदाय को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु जैन समुदाय के सदस्य का चयन/मनोनयन अविलम्ब रूप से किया जाए, ऐसी जन अपेक्षा है ।

निवेदक

पब्लिकट्रस्ट पंजी./08/1970–71

।।श्री आदिनाथाय नमः।।

श्री दिग.जैन तीर्थोदय एवं धर्मोदय अतिशय तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट

गोलाकोट–पचराई तहसील खनियाँधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

सम्पर्क – 09981700789, 09977084421, 09977473932, 09893533039

दिनांक .....

क्रमांक .....

प्रति,

श्रीमान् शिवराजसिंह चौहान जी
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल, मध्यप्रदेश

विषय : मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में जैन समुदाय के प्रतिनिधि की नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

मान्यवर,

भारतवर्ष में प्रत्येक धर्म, समुदाय की आचरण पद्धति को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व शासन का होता है । उसमें भी धर्म, भाषा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित समुदायों की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखना राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है ।

भारत सरकार के साथ मध्यप्रदेश शासन ने भी प्रदेश में 'जैन समुदाय' को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया हुआ है । परन्तु केन्द्रीय और प्रदेश शासन के द्वारा संचालित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ जैन समुदाय को नहीं मिल पा रहा है । साथ ही जैन समुदाय को अपनी धार्मिक क्रियाविधियों, भाषा एवं शिक्षा के सम्यक् निर्वहन में आने वाली समस्याओं को मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में 'जैन समुदाय' के विकास में सहयोग करने हेतु सदस्य का पद दीर्घकाल से रिक्त होने से आयोग में उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाता । फलतः जैन समुदाय के विकास के लिये कल्याणकारी विशिष्ट योजनाएँ भी सुनिर्धारित नहीं हो पातीं ।

माननीय महोदय से निवेदन है कि मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में जैन समुदाय को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु जैन समुदाय के सदस्य का चयन/मनोनयन अविलम्ब रूप से किया जाए, ऐसी जन अपेक्षा है ।

निवेदक